

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-पाली) राज.  
पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या : 74/2022  
GCMS NO. : 2022/118

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. छोटाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति  
कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी-  
बेरा तेलीझगडा, पाटवा तहसील-  
जैतारण, जिला - पाली

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली।  
2. पटवारी हल्का, पाटवा, जैतारण  
जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
तारीख रजू: 01/11/2022

उपस्थित:- 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।  
2. तहसीलदार, जैतारण।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 24/04/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा पाटवार हल्का पाटवा, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र बेडकलां तहसील जैतारण जिला-पाली में स्थित है। वादी एवं अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 553 खसरा नम्बर 1201 रकबा 3.8040 किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 554 खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3642 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 993/1 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/4 रकबा 0.0405 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/9 रकबा 0.0324 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.2428 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.1619 किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.7284 किस्म गै.मु. सडा, खसरा नम्बर 997/6 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/2 रकबा 0.1376 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/2 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.5908 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.0765 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1188 रकबा 2.4038 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.5504 किस्म बारानी अव्वल, खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1000/4 रकबा 1.7078 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 1184/1 रकबा 1.9506 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/11 रकबा 0.2428 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/2 रकबा 1.4569 किस्म सोयम, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/10 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/12 रकबा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जैतारण (पाली)

0.3237 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/8 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/1 रकबा 1.9911 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/1 रकबा 1.6997 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/12 रकबा 2.2662 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.1044 किस्म चाही सोयम की कृषि भूमि स्थित हैं। वादी का खाता संख्या 553 में 1/32 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 554 में 1/32 वां हिस्सा हैं एवं खाता संख्या 555 बादी का 1/16 वां हिस्सा हैं एवं खाता संख्या 556 में वादी का 1/8 वां हिस्सा हैं। इसी हिस्से के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काशत है। शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं। जमाबंदी के प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2074-2077 की वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में वादी के पिता स्वर्गीय धन्नाराम पुत्र रामाराम की मृत्यु के पश्चात् विरासत से फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2621 व 2622 के जरिये वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वादी का नाम छोटाराम की जगह छोटूराम कर दिया। वादी छोटाराम का नाम प्रतिवादी के द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम वादी के अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, चुनाव परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, गैस की डायरी आदि में वादी का नाम छोटाराम लिखा हुआ हैं। वादी का नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 2621, 2622 में अमल दरामद करते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी का नाम छोटाराम की जगह छोटूराम दर्ज कर दिया, जो गलत हैं। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि म्यूटेशन संख्या 2621 व 2622 एवं अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, गैस की डायरी की फोटो प्रति वादपत्र के साथ पेश हैं। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में छोटाराम की जगह छोटूराम गलत दर्ज होने से वादी को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि में वादी का नाम गलत दर्ज होने से बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं कॉर्पोरेटिव सोसायटी से खाद बीज लेने एवं बैंक से के.सी.सी. बनवाने में एवं विद्युत कनेक्शन लेने और अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में वादी अपना नाम छोटूराम के स्थान पर छोटाराम दुरुस्त करवाने का अधिकारी हैं इसलिये वादी की तरफ से वादपत्र बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती का प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम छोटूराम गलत इन्द्राज हो जाने से अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है इसलिये वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादी अपना नाम सही एवं दुरुस्त करवाने हेतु पूर्व में हल्का पटवारी को लिखित में प्रार्थना-पत्र पेश कर अपना नाम सही एवं दुरुस्त करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने इन्कार कर दिया एवं कहा कि सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने को कहा तब वादी ने यह वादपत्र अपने

(समान नम्बर दिनांक)  
 साक्ष्यक वताकर (कास्ट टेक)  
 जेत्तारण (पाली)

नाम की दुरुस्ती की घोषणा करवाने बाबत् बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा सहहिस्सेदार अन्य खातेदार हैं परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया क्योंकि वादी को उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारान के वादी के इस वादपत्र के कोई हिस्से को प्रभावित हो रहे हैं एवं वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने से प्रतिवादी संख्या 2 के मना करने पर यह वादपत्र वादी की तरफ से पेश किये जा रहे हैं। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। इसलिए धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय दावा वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नाम दुरुस्त करवाने हेतू दिनांक 01.10.2022 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा वादी का नाम दुरुस्त करने से इन्कार करने पर तहसील कार्यालय से दिनांक 07.10.2022 एवं हल्का पटवारी से दिनांक 21.10.2022 को नकल प्राप्त करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद एवं श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमानजी के समक्ष यह वादपत्र पेश हैं। वादी का नाम छोटूराम कि जगह सही नाम छोटाराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्ट्र किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा मय फहरिश्त दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नाम छोटूराम जरिये ना.स. 2621 व 2622 के द्वारा दर्ज हुआ है, जो गलत नहीं है। वादी अपने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम छोटूराम के स्थान पर छोटाराम दर्ज करना चाहता है, जो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन किया जाता है तो प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली माननीय राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प-2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, पाटवा पर पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादी मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण की बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्द्वार निर्णय निम्नानुसार है-

1. वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074-2077 ग्राम पाटवा खाता संख्या 553 खसरा नम्बर 1201 रकबा 3.8040 किस्म बरानी दोयम, खाता संख्या 554 खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3642 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 993/1 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/4 रकबा 0.0405 किस्म चाही सोयम, खसरा

नम्बर 993/9 रकबा 0.0324 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.2428 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.1619 किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.7284 किस्म गै.मु. सडा, खसरा नम्बर 997/6 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/2 रकबा 0.1376 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/2 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.5908 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.0765 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1188 रकबा 2.4038 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.5504 किस्म बारानी अव्वल, खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1000/4 रकबा 1.7078 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 1184/1 रकबा 1.9506 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/11 रकबा 0.2428 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/2 रकबा 1.4569 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/10 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/12 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/8 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/1 रकबा 1.9911 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/1 रकबा 1.6997 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/12 रकबा 2.2662 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.1044 किस्म चाही सोयम का अध्ययन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी में छोटूराम पुत्र धनाराम सहखातेदार के रूप में अंकित है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन की डायरी, बैंक अकाउन्ट डायरी, बिजली का बिल में वादी का नाम छोटा राम पुत्र धन्ना राम अंकित है।

2. राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प-2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, पाटवा में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों द्वारा दौराने उभयपक्ष बहस वादी का नाम छोटूराम की बजाय छोटाराम होना बताया गया।

3. तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कथन किया कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नाम छोटूराम जरिये ना.स. 2621 व 2622 के द्वारा दर्ज हुआ है, जो गलत नहीं है। वादी अपने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम छोटूराम के स्थान पर छोटाराम दर्ज करना चाहता है। उक्त संशोधन किया जाता है तो प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी दस्तावेजात एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प-2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, पाटवा में मजमा-ए-आम उभयपक्ष की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 553 खसरा नम्बर 1201 रकबा 3.8040, खाता

(रकम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जैतारण (पाली)

संख्या 554 खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3642, खसरा नम्बर 993/1 रकबा 0.0809, खसरा नम्बर 993/4 रकबा 0.0405, खसरा नम्बर 993/9 रकबा 0.0324, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.2428, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.1619, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.7284, खसरा नम्बर 997/6 रकबा 0.0809, खसरा नम्बर 998/2 रकबा 0.1376, खसरा नम्बर 999/2 रकबा 0.3237, खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.5908, खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.0765, खसरा नम्बर 1188 रकबा 2.4038, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.5504, खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1000/4 रकबा 1.7078, खसरा नम्बर 1184/1 रकबा 1.9506, खसरा नम्बर 993/11 रकबा 0.2428, खसरा नम्बर 993/2 रकबा 1.4569, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.0809, खसरा नम्बर 997/10 रकबा 0.9712, खसरा नम्बर 997/12 रकबा 0.3237, खसरा नम्बर 997/8 रकबा 0.9712, खसरा नम्बर 998/1 रकबा 1.9911, खसरा नम्बर 999/1 रकबा 1.6997, खसरा नम्बर 999/12 रकबा 2.2662, खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.1044 ग्राम पाटवा के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि छोटराम पुत्र धनाराम के स्थान पर वादी का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम छोटराम पुत्र धनाराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि 'छोटराम पुत्र धनाराम' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'छोटराम पुत्र धनाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

--: आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खाता संख्या 553 खसरा नम्बर 1201 रकबा 3.8040 किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 554 खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3642 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 993/1 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/4 रकबा 0.0405 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/9 रकबा 0.0324 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.2428 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.1619 किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.7284 किस्म गै.मु. सडा, खसरा नम्बर 997/6 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/2 रकबा 0.1376 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/2 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.5908 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.0765 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1188 रकबा 2.4038 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.

(प्रधान नुम्बर फिलेनी)  
 महायुक्त कलक्टर (पाटवा क्षेत्र)  
 जयपुर (पारी)

5504 किस्म बारानी अब्बल, खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1000/4 रकबा 1.7078 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 1184/1 रकबा 1.9506 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/11 रकबा 0.2428 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/2 रकबा 1.4569 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/10 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/12 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/8 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/1 रकबा 1.9911 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/1 रकबा 1.6997 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/12 रकबा 2.2662 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.1044 किस्म चाही सोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ वादी के नाम छोदूराम पुत्र धनाराम अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि- 'छोटाराम पुत्र धनाराम' के स्थान पर 'छोटाराम पुत्र धनाराम' को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 24/04/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

**डिग्री बमुकदमें इब्तदाई**  
(ऑर्डर 20 रूलस 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. छोटाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति  
कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी- बेरा  
तेलीझगडा, पाटवा तहसील- जैतारण,  
जिला - पाली

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली।  
2. पटवारी हल्का, पाटवा, जैतारण  
जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0- 74/2022

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-.....  
... व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व  
तहसीलदार, जैतारण एवं पटवारी हल्का, पाटवा, प्रतिवादीगण मिनजानिब  
मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा  
पटवार हल्का पाटवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण में  
खाता संख्या 553 खसरा नम्बर 1201 रकबा 3.8040 किस्म बारानी दोयम,  
खाता संख्या 554 खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3642 किस्म गै.मु. रास्ता,  
खसरा नम्बर 993/1 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर  
993/4 रकबा 0.0405 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/9 रकबा 0.  
0324 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.2428 किस्म गै.मु.  
रास्ता, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.1619 किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर  
996 रकबा 0.7284 किस्म गै.मु. सडा, खसरा नम्बर 997/6 रकबा 0.  
0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 998/2 रकबा 0.1376 किस्म चाही  
सोयम, खसरा नम्बर 999/2 रकबा 0.3237 किस्म चाही सोयम, खाता  
संख्या 555 खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.5908 किस्म बारानी अव्वल,  
खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.0765 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर  
1188 रकबा 2.4038 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.  
5504 किस्म बारानी अव्वल, खाता संख्या 556 खसरा नम्बर 1000/4  
रकबा 1.7078 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 1184/1 रकबा 1.9506  
किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 993/11 रकबा 0.2428 किस्म चाही  
सोयम, खसरा नम्बर 993/2 रकबा 1.4569 किस्म चाही सोयम, खसरा  
नम्बर 997 रकबा 0.0809 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/10  
रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/12 रकबा 0.3237  
किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 997/8 रकबा 0.9712 किस्म चाही सोयम,  
खसरा नम्बर 998/1 रकबा 1.9911 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर  
999/1 रकबा 1.6997 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 999/12 रकबा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जैतारण (पाली)

2.2662 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.1044 किस्म चाही सोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ वादी के नाम छोटराम पुत्र धनाराम अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि- 'छोटाराम पुत्र धनाराम' के स्थान पर 'छोटाराम पुत्र धनाराम' को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनु रूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/04/2023 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-पाली (राज 0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	2.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	6.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।